कार्यालय जिला कलक्टर (रसद), बाँसवाड़ा (राज.)

क्रमांक : एफ 32 (1) रसद/खाद्य सुरक्षा/आवंटन/2015-16/109-128 दिनांक : 08/01/2016

उप आवंटन आदेश

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013

खाद्य विभाग के आवंटन आदेश क्रमांक एफ 13 (1) खा.वि./आवंटन/खाद्य सुरक्षा/ 2016 दिनांक 08/01/2016 के द्वारा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजनान्तर्गत लाभार्थियों (अन्त्योदय परिवारों सहित) हेतु जिले को माह **फरवरी, 2016 के लिए 7513 एम.टी.** गेहूं का आवंटन प्राप्त हुआ है। पंचायत समितियों एवं शहरी निकायों से प्राप्त नवीनतम सूचना के अनुसार जिले में खाद्य सुरक्षा हेतु पात्र परिवार की संख्या **327154** है एवं इनकी युनिट 14,09034 है।

अतः **माह फरवरी,** 2016 के लिए खाद्य सुरक्षा योजना के तहत अन्त्योदय, **बीपीएल, स्टेट बीपीएल एवं ए.पी.एल के चयनित पात्र परिवारों हेतु** थोक विक्रेतावार/पंचायत समिति वार आवंटन निम्नानुसार जारी किया जाता है:-

बी.पी.एल., स्टेट बी पी एल, अन्त्योदय एवं ए.पी.एल. के पात्र परिवारों हेतु माह फरवरी, 2016 हेतु आवंटन

(मात्रा एमटी)

नाम थोक विक्रेता	पंचायत समिति	अन्त्योदय कार्ड	35 किलो प्रति राशनकार्ड से आवंटन	बीपीएल कार्ड	स्टेट बीपीएल कार्ड	ए.पी.एल. से चयनित पात्र परिवार	कुल परिवार 5+6+7	कुल युनिट	आवंटन	वितरण हेतु आवश्यक मात्रा 4+10	एफ.सी. आई.से उठाव हेतु आवंटित मात्रा	पूर्व के स्टॉक से आवंटित मात्रा
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
राजस संघ बांसवाडा	कुशलगढ	5156		9865	6580	7549	23994	123002	615.01			
	सज्जनगढ	6941		9177	7072	8007	24256	106710	533.55			
	न.पा. कुशल.	726		10	0	852	862	2960	14.8			
	आनन्दपुरी	5382		14890	3373	9326	27589	101513	507.565			
	बागीदौरा	8602		16277	8953	8741	33971	151019	755.095			
	योग	**26807**	**938.245**	**50219**	**25978**	**34475**	**110672**	**485204**	**2426.020**	3364.265	**3150**	**214.265**
केवीएस एस एस बांसवाडा	न.प. बांस.	3883		538	0	8087	8625	36254	181.27			
	तलवाडा	7911		18227	5940	19015	43182	179328	896.64			
	छोटी सरवन	3666		8693	2920	1784	13397	59596	297.98			
	योग	**15460**	**541.100**	**27458**	**8860**	**28886**	**65204**	**275178**	**1375.890**	**1916.99**	**1800**	**116.99**
केवीएसएस गढी	गढी	**7766**	**271.810**	**17415**	**7610**	**15163**	**40188**	**197915**	**989.575**	**1261.385**	**1183**	**78.385**
उ.थोक भण्डार	घाटोल	**10618**	**371.630**	**21464**	**6745**	**22230**	**50439**	**213113**	**1065.565**	**1437.195**	**1380**	**57.195**
	महायोग	60651	2122.790	**116556**	**49193**	**100754**	**266503**	**1171410**	**5857.05**	**7979.835**	**7513**	**466.835**

खाद्य विभाग के उपरोक्त आवंटन आदेश के अनुसार फरवरी, 2016 हेतु आवंटित गेहूँ की उपरोक्त मात्रा **का उठाव पूर्व माह कि अन्तिम तिथि तक किया जाना सुनिश्चित किया जावे। अवशेष गेहूं थोक विक्रेता अपने स्टॉक** में सुरक्षित **रखेंगे।**

इस सम्बन्ध में निम्ननुसार निर्देशों की अनुपालना सुनिश्चित की जावेगी :-

1. अन्त्योदय अन्न योजना में चयनित परिवारों को प्रति परिवार 35 किलोग्राम गेहूं 2 रू. प्रतिकिलो की दर से वितरण किया जावेगा।
2. खाद्य सुरक्षा के अन्तर्गत बी.पी.एल. व स्टेट बी.पी.एल. परिवारों को 2 रू. प्रति किलोग्राम की दर से प्रति व्यक्ति (प्रति युनिट) 5 किलोग्राम गेहूं वितरण किया जावेगा।
3. ए.पी.एल. से चयनित पात्र परिवारों को 2 रू. प्रति किलोग्राम की दर से प्रति व्यक्ति (प्रति युनिट) 5 किलोग्राम गेहूं वितरण किया जावेगा। इन परिवारों की प्रमाणित सूची विकास अधिकारी/स्थानिय निकाय से प्राप्त कर उसके अनुरूप वितरण किया जावे।

4. थोक विक्रेताओं को उचित मूल्य दुकानवार आवंटित गेहूं की सूची पृथक से दी गई है। इसके अनुरूप संबंधित डीलर को खाद्यान्न उपलब्ध करवाया जाएगा।
5. गेहूँ का वितरण कार्य नये डीजिटल राशन कार्ड के आधार पर ही किया जावेगा। यदि किसी उपभोक्ता को डिजिटल राशनकार्ड प्राप्त नहीं हुआ है, तो ई–मित्र में आवेदन पत्र जमा कराने की रसीद के आधार पर भी खाद्यान्न वितरण किया जा सकता है।
6. प्रबन्धक, नागरिक आपूर्ति भारतीय खाद्य निगम में आवंटित खाद्यान्न की राशि जमा कर रिलिज़ ऑर्डर प्राप्त करेंगे।
7. प्रबन्ध खा.ना. आपूर्ति निगम लि. बॉसवाड़ा एवं समस्त थोक विक्रेता खाद्यान्न का उठाव करते समय फैयर एवरेज क्वालिटी अथवा यू.आर.एस. श्रेणी का गेहूँ भौतिक रूप से देख कर ही लेंगे। नियमानुसार सैम्पल लिया जावेगा। खराब क्वालिटी गेहूँ का उठाव नही किया जावेगा।
8. यदि थोक विक्रेता द्वारा किसी उचित मूल्य दुकानदार को खराब गेहूँ की आपूर्ति करता है तो उसका वितरण उपभोक्ताओं में नही किया जावे तथा थोक विक्रेता खराब गेहूँ को अपने स्तर से बदलेगा।
9. सम्बन्धित प्रवर्तन अधिकारी द्वारा समस्त उचित मूल्य दुकानदारों को पाबन्द किया जावें कि उनके द्वारा आंवटित माह का खाद्यान्न पूर्व माह की 30 तारीख तक (फरवरी 2016 हेतु 31 जनवरी तक) उठाया जावें। यदि किन्ही उचित मूल्य दुकानदारों के द्वारा निर्धारित तिथि तक थोक विकेताओं के वहां राशि जमा कर खाद्यान्न का उठाव नहीं किया जाता है, तो उनके विरूद्ध कार्यवाही की जावेगी एवं जुर्माना राशि वसूल की जाएगी।
10. किसी भी उपभोक्ता को एक से अधिक योजनाओं में खाद्यान्न उपलब्ध नहीं कराया जावेगा।
11. समस्त प्रवर्तन अधिकारी थोक विक्रेता से प्रतिदिन उठाव व वितरण की सूचना प्राप्त कर रेण्डम आधार पर उचित मूल्य दुकानदारों को आपूर्ति किये जाने वाले गेहूं का भौतिक सत्यापन करेंगे। समस्त प्रवर्तन अधिकारी अपने क्षेत्र में गेहूं वितरण पर निगरानी रखेंगे तथा समय – समय पर प्रभावी निरीक्षण करेंगे।
12. समस्त थोक विक्रेता परिवहन समानीकरण के लेखे प्रत्येक माह की 5 तारीख तक जिला रसद अधिकारी, कार्यालय में आवश्यक रूप से प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित करेंगे।
13. उचित मूल्य दुकानों के सूचना पट्ट पर वितरण की जाने वाली सामग्री की मात्रा, दुकानों के खुलने व बन्द होने का समय, प्रारम्भिक एवं अन्तिम स्टॉक की पूर्ण सूचना प्रतिदिन प्रदर्शित की जावें।
14. उचित मूल्य दुकान पर आवंटन एवं वितरण सम्बन्धी रिकार्ड निरीक्षण के लिए उपलब्ध होना चाहिए। साथ ही वितरित किये जा रहे खाद्यान्न का नमूना हर समय उपलब्ध रहना चाहिए।
15. उचित मूल्य दुकानों के लिए राज्य सरकार द्वारा निर्धारित प्रारूप में स्टॉक रजिस्टर एवं वितरण रजिस्टर दुकान परिसर में हर समय उपलब्ध रहना सुनिश्चित किया जावें। यह व्यवस्था कठोरता से लागू की जाये।
16. खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 में विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत आवंटित खाद्यान्न के उठाव एवं वितरण से सम्बन्धित सभी एजेन्सियों द्वारा उक्त आदेश की कडाई से पालना सुनिश्चित की जावें। यदि किसी भी एजेन्सी द्वारा अनियमितता करना पाया जाता है, तो आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत कठोर कार्यवाही की जावेगी।

खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अन्तर्गत चयनित परिवारों को खाद्यान्न उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए उपरोक्त आदेशों की अक्षरशः पालना किया जाना सुनिश्चित करावें।

(प्रकाश राजपुरोहित)
जिला कलक्टर (रसद),
बाँसवाड़ा

प्रतिलिपि :–

1. श्रीमान प्रमुख शासन सचिव महोदय, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, राजस्थान जयपुर।
2. अतिरिक्त खाद्य आयुक्त एवं पदेन निदेशक उपभोक्ता मामलात् महोदय, खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग, राजस्थान जयपुर।
3. सांसद महोदय, बांसवाडा– डूंगरपुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र, बांसवाडा।
4. जिला प्रमुख महोदया, जिला परिषद, बांसवाडा।
5. विधायक महोदय, विधानसभा क्षेत्र बांसवाडा/गढी/घाटोल/बागीदौरा/कुशलगढ।

6. प्रधान, पंचायत समिति, बांसवाडा / घाटोल / गढी / बागीदौरा / छोटी सरवन / कुशलगढ / सज्जनगढ / आनन्दपुरी / तलवाडा / अरथुना / गांगड़तलाई।
7. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, बांसवाड़ा उक्त आवंटन आदेश की प्रतियां जिला परिषद की सामाजिक एवं न्याय समिति के सदस्यों को भी उपलब्ध करावें।
8. उपखण्ड अधिकारी, बांसवाडा / घाटोल / गढी / बागीदौरा / कुशलगढ / सज्जनगढ / आनन्दपुरी / छोटी सरवन।
9. सूचना एवं जन सम्पर्क अधिकारी बांसवाड़ा को दैनिक समाचार पत्रों में समाचार आईटम के रूप में प्रकाशन हेतु।
10. उपनिदेशक सूचना प्राद्योगिकि एवं संचार विभाग बांसवाडा को जिले के वेब पोर्टल पर डालने हेतु।
11. तहसीलदार, तहसील बाँसवाड़ा / छोटी सरवन / आम्बापुरा / घाटोल / गनोडा / गढी / बागीदौरा / आनन्दपुरी / गांगडतलाई / कुशलगढ / सज्जनगढ।
12. विकास अधिकारी पंचायत समिति बांसवाड़ा / गढ़ी / घाटोल / बागीदौरा / आनन्दपुरी / सज्जनगढ़ / कुशलगढ / छोटी सरवन / तलवाडा / अरथुना / गांगड़तलाई ।
13. क्षेत्र प्रबन्धक, भारतीय खाद्य निगम उदयपुर।/सहायक प्रबन्धक, भारतीय खाद्य निगम बांसवाड़ा।
14. प्रर्वतन अधिकारी, बांसवाड़ा / घाटोल / गढ़ी / कुशलगढ़ / बागीदौरा को वितरण पर पूर्ण सतर्कता हेतु।
15. प्रबन्धक, राजस्थान राज्य एवं खाद्य नागरिक आपूर्ति निगम लिमिटेड, बांसवाडा।
16. क्षेत्रीय प्रबन्धक राजस संघ बांसवाडा।
17. मुख्य व्यवस्थापक स.उ.थोक भण्ड़ार बांसवाड़ा।
18. मेनेजर,क्र.वि.स.स. बांसवाड़ा / परतापुर।
19. समस्त उचित मूल्य दुकानदार जिला बांसवाड़ा द्वारा सम्बन्धित प्रवर्तन अधिकारी को पालनार्थ ।
20. लेखा, अनुभाग कार्यालय हाजा।

जिला रसद अधिकारी,
बाँसवाड़ा

कार्यालय जिला कलक्टर (रसद), बाँसवाड़ा (राज.)

क्रमांक : एफ 32 ( ) रसद/केरो.आ./2014/ 130 - 150 दिनांक :– 07/01/2016

उप–आवंटन आदेश

खाद्य नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामले विभाग राजस्थान सरकार जयपुर के आवंटन आदेश कमांक एफ 30 (1) खा.वि. केरोसीन/99/ दिनांक 14/06/2006 एवं पत्र कमांक एफ 30 (1) खा.वि. केरोसीन/2001/ दिनांक 23/01/2003 के निर्देशो की अनुपालना में खाद्यान्न एवं आवश्यक पदार्थ(वितरण का विनियमन) आदेश 1976 के क्लॉज 20 के अध्यधीन जिले में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत केरोसीन की वितरण व्यवस्था सुचारू रूप से बनाये रखने हेतु माह **जनवरी 2016 से मार्च 2016** के लिये केरोसीन का रोस्टर/आवंटन निम्नानुसार जारी किया जाता है। यह रोस्टर खाद्य विभाग के आदेश कमांक एफ30(1)खावि/केरोसीन/आवं./16 दिनांक 04.01.2016 के द्वारा जिले को प्रतिमाह 1404 केएल केरोसीन के आवंटन के आधार पर जारी किया जा रहा है।

पंचायत समितिवार/थोक विक्रेतावार केरोसीन का आवंटन/रोस्टर (मात्रा केएल में)

क्र.सं.	क्षेत्र	मैं सुमतिलाल हजारीमल केरोसीन थोक विक्रेता, बांसवाडा	मैं एट योर डोर केरोसीन थोक विक्रेता, बांसवाडा	मैं त्रिपुरा एजेन्सी केरोसीन थोक विक्रेता, कुशलगढ	मैं सांवरिया एजेन्सी केरोसीन थोक विक्रेता, घाटोल	मैं सिद्धि विनायक केरोसीन थोक विक्रेता, गढी	योग
1	नगर बांसवाडा	0.00	27.83	48.62	0.00	5.06	81.51
2	नगर कुशलगढ	0.00	12.65	0.00	0.00	0.00	12.65
3	पं. स. तलवाडा	203.94	0.00	0.00	0.00	0.00	203.94
4	पं. स. छोटी सरवन	76.89	0.00	0.00	0.00	0.00	76.89
5	पं. स. गढी	0.00	0.00	0.00	0.00	252.89	252.89
6	पं. स. आनन्दपुरी	0.00	0.00	0.00	113.74	0.00	113.74
7	पं. स. बागीदौरा	0.00	0.00	0.00	188.43	0.00	188.43
8	पं. स. सज्जनगढ	0.00	127.49	0.00	0.00	0.00	127.49
9	पं. स. कुशलगढ	0.00	113.63	0.00	0.00	0.00	113.63
10	पं. स. घाटोल	0.00	0.00	231.88	0.00	0.00	231.88
	योग	**280.83**	**281.60**	**280.50**	**302.17**	**257.95**	**1403.05**
	योग (कुल आवंटित)	**280.00**	**280.00**	**280.00**	**284.00**	**280.00**	**1404.00**
	आरक्षित	**-0.83**	**-1.60**	**-0.50**	**-18.17**	**22.05**	**0.95**

निर्देश :–

1. ऑयल कम्पनी द्वारा केरोसीन थोक विक्रेताओं को उपरोक्त अंकित केरोसीन की आवंटित मात्रा में परिवर्तन की स्थिति में सम्बन्धित थोक विक्रेता समय पर केरोसीन वितरण से बचे हुए डीलरों की सूची अधोहस्ताक्षरकर्ता को प्रस्तुत करेगा, ताकि उन्हे अन्य थोक विक्रेताओं से केरोसीन उपलब्ध करवाया जा सके। प्राप्त आवंटन की तुलना में वितरण सूची में केरोसीन की मात्रा अधिक होने पर पूर्व स्टॉक से आपूर्ति करेंगे।

2. अतिरिक्त खाद्य आयुक्त महोदय के आदेश क्रमांक एफ 65 (2) खा.वि./ एल.पी.जी./पेपर कटिंग/ 06 दिनांक 18/02/2011 के द्वारा केरोसीन थोक विक्रेताओं को प्रत्येक माह 1 से 14 तारीख के मध्य 70 प्रतिशत तथा 15 से माह की अन्तिम तिथि तक 30 प्रतिशत केरोसीन तेल का उठाव करने एवं दिनांक 1 से 14 एवं 15 से माह की अन्तिम तिथि का पृथक – पृथक रोस्टर जारी करने के निर्देश हैं।

3. बिन्दु संख्या 1 की पालना में पंचायत समितिवार प्रत्येक माह की 1 से 14 (70 प्रतिशत) एवं दिनांक 15 से माह की अन्तिम तिथि का पृथक – पृथक रोस्टर जारी किया गया है। अतः रोस्टर के मुताबिक उचित मूल्य दुकानदारों को केरोसीन वितरण किया जावें।

4. बिन्दु संख्या 1 की पालना में नगर बांसवाडा एवं नगर कुशलगढ के समस्त उचित मूल्य दुकानदारों को प्रत्येक माह की दिनांक 1 से 14 तारीख तक केरोसीन तेल का उचित मूल्य दुकानदारों को वितरण किया जावें।

5. थोक विक्रेता संलग्न सारणी में आवंटित मात्रा के अनुसार ही खुदरा विक्रेताओं को करोसीन की आपूर्ति करेंगे। आवंटित मात्रा से कम/अधिक मात्रा की आपूर्ति नहीं की जावेंगी।

6. समस्त प्राधिकृत केरोसीन थोक विक्रेता विभाग के आदेश क्रमांक एफ 30 (1) खा.वि./केरोसीन/आवंटन/2009 जयपुर दिनांक 20/11/09 की सूचना निर्धारित प्रपत्र में दैनिक सूचना नियमित रूप से जिला रसद अधिकारी, बांसवाडा को प्रस्तुत करेंगे।

7. अधिकृत केरोसीन थोक विक्रेताओं द्वारा टेंकर क्रम संख्या अनुसार आपूर्ति किये गये केरोसीन की सूचना आगामी दिवस को सुबह जिला रसद अधिकारी/उपखण्ड अधिकारी/तहसीलदार कार्यालयको संलग्न प्रारूप "ख" में प्रस्तुत की जावेंगी व प्रारूप "क" व "ग" में माह समाप्ति के 3 दिवस में सूचना प्रस्तुत की जावेगी।

8. खुदरा विक्रेता क्रमानुसार केरोसीन की प्राप्ति करेंगे एवं थोक विक्रेता केरोसीन खाली करने आये तब खुदरा विक्रेता खाली करवाने एवं भुगतान से इनकार नहीं करेंगे।

9. विभाग द्वारा जिले में प्रचलित राशनकार्डो के अनुसार 3.75लीटर के अनुपात में 1404 केएल केरोसीन आवंटित किया गया है।जिसे प्रति राशनकार्ड 4 लीटर केरोसीन वितरण करवाने के निर्देश दिये गये हैं।

10. खाद्य विभाग के आदेश क्रमांक एफ 30 (1) खा.वि./केरोसीन/आवंटन/2013 दिनांक 28/01/2013 की अनुपालना में खुदरा विक्रेता एलपीजी गैस के डीबीसी एवं एस.बी.सी. गैस कनेक्शन धारकों को केरोसीन वितरण नहीं करेंगे। बिना गैस के राशनकार्ड धारियों को 4 लीटर तक प्रतिमाह केरोसीन की ही आपूर्ति करेंगे। केरोसीन उपभोक्ता को 17.50 रू. प्रति लीटर में नए डीजीटल राशन कार्डो पर विक्रय किया जावेगा। यह वितरण सतर्कता समिति से भौतिक सत्यापन करवाया जाकर दिनांक 10 से 24 तक उपभोक्ता पखवाडे के दौरान किया जावेगा। साथ ही अपने निवास से दूर अध्ययनरत छात्रों को उनके संस्था प्रधान द्वारा जारी राशन कार्डो पर प्रति राशन कार्ड 4 लीटर तक केरोसीन वितरण किया जावेगा। वितरण पश्चात सम्बन्धित संस्था प्रधानों से सत्यापन प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर आगामी माह का केरोसीन आवंटित किया जावेगा। अवशेष केरोसीन अपने स्टॉक में सुरक्षित रखा जावे।

11. नीले केरोसीन का खाना पकाने एवं प्रकाश व्यवस्था के अलावा अन्य उपयोग प्रतिबन्धित एवं दण्डनीय है।

12. केरोसीन के उठाव व वितरण पर प्रवर्तन स्टाफ एवं राजस्व विभाग के द्वारा पूर्ण निगरानी रखी जावेंगी एवं आदेश की पालना सुनिश्चित की जावेंगी।

13.आईओसीएल के केरोसीन टर्मिनल से केरोसीन टेंकर भरवाकर बांसवाडा आने पर टेंकर की टोल टैक्स की रसीदें प्रत्येक टेंकर की वितरण सूची के साथ प्रस्तुत करें।

उपरोक्त आदेश का उल्लघंन आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत दण्डनीय अपराध है।

जिला कलक्टर (रसद),
बांसवाडा

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. श्रीमान प्रमुख शासन सचिव महोदय, खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग, राजस्थान जयपुर।
2. सांसद महोदय, बांसवाडा- डूंगरपुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र, बांसवाडा।
3. जिला प्रमुख महोदया, जिला परिषद, बांसवाडा।
4. विधायक महोदय, विधानसभा क्षेत्र बांसवाडा/गढी/घाटोल/बागीदौरा/कुशलगढ।
5. प्रधान, पंचायत समिति, बांसवाडा/तलवाडा/घाटोल/बागीदौरा/छोटी सरवन/कुशलगढ/सज्जनगढ/आनन्दपुरी/अरथुना/गागडतलाई/गढी।
6. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, बांसवाड़ा।
7. उपखण्ड अधिकारी बांसवाड़ा/कुशलगढ़/घाटोल/बागीदौरा/गढी/सज्जनगढ/आनंदपुरी/छोटी सरवन।
8. जिला जन सम्पर्क अधिकारी, बांसवाड़ा।
9. उपनिदेशक,सूचना प्रौद्यौगिकी एवं संचार बांसवाडा को वेब पोर्टल पर डालने हेतु।
10. आयुक्त नगर परिषद बांसवाडा/अधिशासी अधिकारी नगर पालिका कुशलगढ।
11. जिला प्रबन्धक, राजस्थान राज्य खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति निगम लिमिटेड, बांसवाडा
12. तहसीलदार, तहसील बांसवाड़ा/गढ़ी/घाटोल/बागीदौरा/कुशलगढ़ ।
13. विकास अधिकारी पंचायत समिति बांसवाड़ा मु. तलवाड़ा / गढ़ी / घाटोल / बागीदौरा / आनन्दपुरी /सज्जनगढ़/कशुलगढ/ छोटी सरवन/अरथुना/गांगडतलाई/तलवाडा ।
14. संबंधित प्रर्वतन अधिकारी कार्यालय हाजा को वितरण पर पूर्ण सतर्कता हेतु।
15. केरोसीन थोक विक्रेता मैसर्स सुमतिलाल हजारीमल, बांसवाडा।
16. केरोसीन थोक विक्रेता मैसर्स एट योर डोर, बांसवाडा।
17. केरोसीन थोक विक्रेता मैसर्स सिद्धि विनायक गढी।
18. केरोसीन थोक विक्रेता मैसर्स त्रिपुरा एजेन्सी, कुशलगढ।
19. केरोसीन थोक विक्रेता मैसर्स सांवरिया सप्लायर्स, घाटोल।
20. समस्त उचित मूल्य दुकानदार जिला, बांसवाडा द्वारा सम्बन्धित प्रवर्तन अधिकारी/ निरीक्षक।
21. लेखा / वितरण शाखा।

जिला रसद अधिकारी,
बांसवाडा